रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-31102023-249815 CG-DL-E-31102023-249815

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4563]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 31, 2023/कार्तिक 9, 1945

No. 4563]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 31, 2023/KARTIKA 9, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आदेश

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2023

का.आ. 4751(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अविध के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों से मिल कर बनने वाले दमण और दीव तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है,अर्थात् :-

- 1. सचिव, (पर्यावरण और वन), दादरा और नागर हवेली तथा दमण और अध्यक्ष, पदेन; दीव। सचिव कार्यालय (स्वास्थ्य), तीसरा तल, विद्युत भवन, काछिगम, दमण।
- 2. विभागाध्यक्ष, पर्यावरण और वन विभाग, दमण, दीव और डीएनएच, सदस्य, पदेन; दमण। सिचव कार्यालय (स्वास्थ्य), तीसरा तल, विद्युत भवन, काछिगम, दमण।
- कलक्टर, दमण सदस्य, पदेन;
 कलक्टरी, भिटवाड़ी सड़क के समीप, म्युनिसिपल बाजार, धोलार, मोती
 दमण, दमण, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव-396210

6900 GI/2023 (1)

4. कलक्टर, दीव सदस्य, पदेन: कलक्टरी, दीव फोर्ट दीव के निकट, (यूटी ऑफ डीएनएच एंड डीडी) -362520 5. मुख्य नगर और ग्राम योजनाकार, सदस्य. पदेन: नगर और ग्राम योजना विभाग. कलक्टरी, पहला तल, धोलार, मोती दमण, दमण- 396210 6. निदेशक, मत्स्य पालन, दमण और दीव, सदस्य, पदेन: मत्स्य पालन विभाग, दमण, मत्स्य पालन अधीक्षक का कार्यालय, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, दमण 7. निदेशक, नेशनल सेंटर फार सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट (एनसीएससीएम). सदस्य. पदेन: चैन्नई पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी), अन्ना विश्वविद्यालय परिषद् चैन्नई-600025, तमिलनाड् 8. निदेशक, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, सदस्य, पदेन: जोधपुर, टेकरा, अंबावाड़ी विस्तार पो.ओ.अहमदाबाद-380015, गुजरात 9. श्री निश्चल जोशी. विशेषज्ञ सदस्य: बी-2, अक्षर बैंगलो, एनआईडी के विपरीत, कुडासन, गांधी नगर-382421 श्री गौरांग एच. त्रिवेदी 10. विशेषज्ञ सदस्य: प्लाट सं. 30-ए, श्री फ्लेट्स, दूसरा तल, सेक्टर-19, गांधी नगर गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट इकोलॉजी 11. सदस्य. गैर सरकारी संगठन: 12. निदेशक, पर्यावरण विभाग, समाज कल्याण और महिला तथा बाल सदस्य-सचिव, पदेन विकास, जिला और सेशन न्यायालय परिसर, मोती दमण, फोर्ट एरिया-396220

- 2. प्राधिकरण का मुख्यालय मोती दमण, दमण और दीव में होगा।
- 3. प्राधिकरण की बैठक के लिए गणपुर्ति इसके सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी।
- 4. पदेन सदस्य के अतिरिक्त सदस्य को इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित निबंधनों और शर्तों के अनुसार भत्ते संदत्त किए जाएंगे।
- 5. हितों के टकराव से बचने के लिए सदस्य, किसी भी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया में, जिसके लिए उन्होंने परामर्श सेवाएं प्रदान की है, प्राधिकरण की बैठक से स्वयं को अलग रखेगा।
- 6. प्राधिकारी दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के तटीय विनियमन जोन क्षेत्र में पर्यावरण की क्वालिटी की सुरक्षा और सुधार करने और पर्यावरण प्रदूषण का निवारण, उपशमन और नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात् :-
 - (i) तटीय जोन प्रबंधन योजना के अनुसार और भारत सरकार द्वारा का0आ0 संख्याक 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 या सा0का0िन0 संख्याक 37(अ), तारीख 18 जनवरी, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा जारी अधिसूचना की अपेक्षाओं के भीतर, अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए परियोजना प्रस्तावकों से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा करना और आवेदन की प्राप्ति से साठ दिनों की अविध के भीतर उक्त अधिसूचना में यथािविनिर्दिष्ट संबद्ध प्राधिकारी के परियोजना के अनुमोदन के लिए सिफारिश करना;

- (ii) उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट तटीय विनिमय जोन क्षेत्र में सभी विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करना:
- (iii) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का0आ0 संख्याक 4650(अ), तारीख 30 सितंबर, 2022 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना में यथानिर्दिष्ट निदेश उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन जारी करना;
- (iv) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. सं04648(अ), तारीख 30 सितंबर, 2022 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार किसी व्यक्ति के विरूद्ध कार्रवाई करना;
- (v) उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करना;
- (vi) तटीय विनियमन जोन क्षेत्र या तटीय जोन प्रबंध योजना के वर्गीकरण में परिवर्तन या उपांतरण के लिए दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों की परीक्षा करना और उस पर राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के लिए विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना;
- (vii) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधिकथित अतिक्रमण के मामलें की जांच करना और उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में अंतर्वित अतिक्रमण या उल्लंघन के मामले में पुनर्विलोकन करना ; और
- (viii) किसी व्यक्ति या निकाय या किसी संगठन द्वारा उसके समक्ष की गई शिकायत के आधार पर या स्वमेव उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण या उल्लंघन के मामले का पुनर्विलोकन करना;
- 7. प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के उपबंधों के प्रवृतन और क्रियान्वयन की मानीटरी के लिए उत्तरदायी होगा ;
- 8. प्राधिकरण, अपने क्रियाकलापों के संबंध में पारदर्शिता बनाए रखने के प्रयोजन से एक समर्पित वेबसाइट बनाएगा और अपने कृत्यों, जिसके अंतर्गत इसकी बैठक की कार्यसूची, बैठक के कार्यवृत्त, बैठक में लिए गए विनिश्चय, उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण और उल्लंघन के मामले में सिफारिशें और ऐसे अतिक्रमण तथा न्यायालय मामलों पर जिसके अंतर्गत न्यायालय का आदेश भी है, की गई कार्रवाई सम्मिलित है, से संबंधित जानकारी पोस्ट करेगा;
- 9. प्राधिकरण, राष्ट्रीय तटीय जोन क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण को छह मास में कम से कम एक बार अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

[फा. सं. जे-17011/18/96—आईए.III] डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE ORDER

New Delhi, the 31st October, 2023

S.O. 4751(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes the Daman and Diu Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely:-

(1) The Secretary, (Environment and Forests), Dadra and Nagar Haveli Chairman, and Daman and Diu.

O/o Secretary (Health), 3rd Floor, Vidhyut Bhawan, Kachigam,

Daman.

(2) Head of Department, Department of Environment and Forests, Daman, Member,
Diu and DNH, Daman exofficio;

	O/o Secretary (Health), 3rd Floor, Vidhyut Bhawan, Kachigam,	
	Daman	
(3)	The Collector, Daman	Member,
	Collectorate near Bhitwadi Road, Municipal Market, Dholar, Moti	exofficio;
	Daman, Daman, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu-396210	
(4)	The Collector, Diu	Member,
	Collectorate near Diu Fort Diu (UT of DNH ⅅ)-362520	exofficio;
(5)	Chief Town and Country Planner,	Member,
	Town and Country Planning Department, Collectorate, 1st Floor,	exofficio;
	Dholar, Moti Daman, Daman-396210	
(6)	The Director, Fisheries, Daman & Diu,	Member,
	Fisheries Department, Daman, Office of the Supdt. of Fisheries, U.T.	exofficio;
	Administration of Daman & Diu, Daman	
(7)	The Director, National Centre for Sustainable Coastal Management	Member,
	(NCSCM), Chennai	exofficio;
	Ministry of Environment, Forest and Climate Change(MoEF and CC),	
	Anna University Campus, Chennai-600025, Tamil Nadu	
(8)	The Director, Space Applications Centre, Indian Space Research	Member,
	Organization ,Jodhpur, Tekra, Ambawadi Vistar P.O.Ahmedabad-	exofficio;
	380015, Gujarat	
(9)	Shri Nischal Joshi	Expert Member;
	B-2 Akshar Bungalow, Opp: NID, Kudasan, Gandhinagar-382421	
(10)	Shri Gaurang H. Trivedi	Expert Member;
	Plot No. 30-A, Shree Flat, 2nd Floor, Sector-19, Gandhinagar	
(11)	Gujarat Institute of Desert Ecology	Member, Non -Government
		Organisation;
(12)	The Director, Environment Department,	Member- Secretary,
	Director of Social Welfare and Woman and Child Development,	exofficio;
	District and Session Court premises, Moti Daman, Fort Area-396220	

- 2. The Headquarter of the Authority shall be at Moti Daman, Daman and Diu.
- 3. The quorum for the meeting of the Authority shall be one third of the total number of its members of the Authority.
- 4. The member, other than an *ex officio* member, shall be paid allowances as per the terms and conditions decided by the Central Government in this behalf.
- 5. In order to avoid any conflict of interest, the member shall recuse himself from the meeting of the Authority, in the process of appraisal of any project, for which they have rendered consultancy service.
- 6. The Authority shall take following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the Coastal Regulation Zone areas in the Union territory of Daman and Diu, namely: -
 - (i) examine the proposals received from the project proponent for approval of project proposal, in accordance with the approved Coastal Zone Management Plan and within the requirements of the notification issued by the Government of India *vide* number S.O.19(E), dated the 6 th January, 2011 or notification issued *vide* number

G.S.R. 37(E), dated the 18th January, 2019 (hereinafter referred to as the said notification), and make recommendation for approval of project to the concerned authority, as specified in the said notification, within a period of sixty days from the date of receipt of application;

- (ii) regulate all developmental activities in the Coastal Regulation Zone areas as specified in the said notification;
- (iii) issue directions under section 5 of the said Act, as specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 4650(E), dated the 30 September, 2022;
- (iv) take action against the persons as per the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 4648(E), dated the 30 September, 2022;
- (v) file complaint under section 19 of the said Act;
- (vi) examine the proposals received from the Union territory of Daman and Diu for changes or modifications in the classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan and make specific recommendations thereon, to the National Coastal Zone Management Authority;
- (vii) inquire into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder, and review the cases involving violation or contravention of the provisions of the said Act and the rules made thereunder; and
- (viii) inquire and review cases of violation or contravention of the said notification *suo-moto* or on the basis of a complaint made by any individual or body or organisation before it;
- 7. The Authority shall be responsible for enforcement and monitoring of the implementation of the provisions of the said notification.
- 8. The Authority shall, for the purposes of maintaining transparency in its functioning, create a dedicated website and post the information relating to its functions, including the agenda in its meeting, minutes of the meeting, decision taken in the meeting, recommendation for matters on violation and contravention of the said notification and action taken on such violation and court matter including the order of the court and the approved Coastal Zone Management Plan of the Union territory of Daman and Diu.
- 9. The Authority shall furnish report of its activity at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

[F.No. J-17011/18/96-IA.III]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.